मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2008 (फाल्गुन 13, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 199) पर चर्चा के दौरान घटिया साइकिल वितरण से छात्राओं के साथ छलावा होने का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 53 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय तथा कृषि महाविद्यालय रीवा, विदिशा तथा गंजबासौदा में नेट अथवा पी.एच.डी. की अनिवार्यता के निर्धारण से प्रदेश के आवेदकों के हितों को क्षति की संभावना होने;

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने खाचरौद नगर में पेयजल संकट होने;

(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में अत्यधिक ठंड व पाला पड़ने से अनेक ग्रामों में फसलों की क्षति पहुंचने;

(4) श्री किशोर समरीते, सदस्य ने लांजी विधानसभा क्षेत्र में सोन तथा बाघ नदी पर पुलिया निर्माण के लिये धन राशि की स्वीकृति के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ न होने;

(5) श्री हमीद काजी, सदस्य ने देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर में संचालित बी.एड. एवं डी.एड. के पाठ्यक्रमों से उर्दू विषय हटाये जाने;

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, ने सीतामउ के लसुड़िहा में ग्रिड बनाने तथा

(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने देवास जिले के सोनकच्छ स्थित दरगाह की भूमि पर अवैध कब्जा होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने -

(क) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 2004-2005 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन; एवं

(ख) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने निःशक्त (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

(3) श्री जगदीश देवड़ा, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 17 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन तथा

(4) श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 31 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र.-56-मा.-अ.2008, दिनांक 10 जनवरी, 2008

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ने का समर्थन मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य द्वारा किसानों का गन्ना लागत मूल्य और समर्थन मूल्य न मिलने का विरोध करते हुए बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में भाण्डेर नहर प्रणाली से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिलने के विरोध में बहिर्गमन किया गया)

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री मनोहरलाल राठौर, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का बाईसवां, तेईसवां एवं चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम अजनार में विद्युत वोल्टेज की समस्या दूर कराये जाने;

(ख) ग्राम रसनौल में विद्युत समस्या दूर करने हेतु विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने तथा

(ग) ग्राम रोडोंवाली माता का पुरा में बिजली एवं पानी की समस्या दूर कराये जाने;

(2) श्री भक्तपाल सिंह, सदस्य ने नरसिंहगढ़-ब्यावरा राजमार्ग से भोपाल जिले के बैरसिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रसूलिया पठार तक पक्की सड़क बनाये जाने तथा

(3) श्री ताराचन्द गोयल, सदस्य की उज्जैन जिले के तराना-उज्जैन रोड में रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज बनाये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

7. वक्तव्य

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने दिनांक 18 जुलाई, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक 337) एवं दिनांक 7 नवम्बर, 2006 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 65) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री ग्रामोद्योग ने मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

9. वर्ष 2008-2009 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(श्री हुकुमचंद यादव ने डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा यादव समाज के बारे में टिप्पणी करने के विरोध में बहिर्गमन किया)

(2) श्रीमती सुधा जैन (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.01 बजे से 2.39 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(श्रीमती सुधा जैन, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया)

10. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2008 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयक, संविहित संकल्प तथा वर्ष 2008-2009 के आय व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक/संविहित संकल्प	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008)	15 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 संबंधी संविहित संकल्प	15 मिनिट

वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	निर्धारित समय
(1)	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1-सामान्य प्रशासन 2-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 65-विमानन	1 घन्टा 30 मिनिट
(2)	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास 17 सहकारिता 54-कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा	1 घन्टा 30 मिनिट
(3)	श्री हिम्मत कोठारी, मंत्री	3- पुलिस 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 36-परिवहन	2 घन्टे
(4)	श्री राघवजी, मंत्री	6-वित्त 31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन 60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	----

(14)	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	18-श्रम 49-अनुसूचित जाति कल्याण 64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1 घन्टा
(15)	श्री अजय विश्नोई, मंत्री	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 61-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	1 घन्टा 30 मिनिट
(16)	डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय 28-राज्य विधान-मंडल 53-अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2 घन्टे
(17)	श्री रूस्तम सिंह, मंत्री	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 30-ग्रामीण विकास 52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 59-ग्रामीण विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62-पंचायत 80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	2 घन्टे
(18)	श्री अंतर सिंह आर्य, मंत्री	5-जेल. 29-विधि और विधायी कार्य	30 मिनिट
(19)	श्री कमल पटेल, मंत्री	8-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 35-पुनर्वास 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व 58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	1 घन्टा 30 मिनिट
(20)	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री	25-खनिज साधन 26-संस्कृति. 32-जनसंपर्क	1 घन्टा

(21)	श्री नागेन्द्र सिंह, मंत्री	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण 48-नर्मदा घाटी विकास 70-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना.	1 घन्टा
(22)	श्री अखण्ड प्रताप सिंह, मंत्री	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण. 63-अल्पसंख्यक कल्याण 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	1 घन्टा
(23)	श्री तुकोजी राव पवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	37-पर्यटन 43-खेल और युवक कल्याण.	1 घन्टा
(24)	श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	16-मछलीपालन	30 मिनिट
(25)	श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	56-ग्रामोद्योग 78-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.	30 मिनिट

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2008 से मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008 तक आय-व्ययक की मांगों पर मतदान संबंधी चर्चा सायं 6.00 बजे तक रखी जाये, जिसमें भोजनावकाश भी नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक, संविहित संकल्प तथा वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. वर्ष 2008-2009 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री किशोर समरीते
(5) श्री सत्यदेव कटारे
(6) श्री लालसिंह आर्य
(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

अपराह्न 5.15 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2008 (फाल्गुन 14, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.